राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभुदयाल बनाम सरकार 380/2015 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता अपीलार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माने जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 13/03/2026 को पेश हो।	
13/03/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम रोजदा तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खाता संख्या नई 97 व पुरानी 77 की आराजी खसरा नं. 117 रकबा 5.79 हैक्टेयर, खसरा नंध 117/1110 रकबा 0.15 हैक्टेयर, खसरा नं. 264/1126 रकबा 0.04 हैक्टयर, कुल किता 3 कुल रकबा 5.98 हैक्टेयर वादीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि है। जिसमें खसरा नं. 264/1126 रकबा 0.04 हैक्टेयर विवादग्रस्त है। वादीगण संख्या 1 ता 3 व 4 ता 6 के पिता व 7 के पति नन्दाराम द्वारा मद संख्या 1 में वर्णित खाता संख्या 97 की आराजी दिनांक 30.07.1985 को जरिये रजिस्टर्ड दो विक्रय पत्र द्वारा उनके पूर्व खातेदारो से कय की थी तथा मद सख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि के आराजी हाल खसरा नं. 117, 117/1110 व 264/1126 जो गत खसरा नं. 35 से बने हैं जिसमें उक्त कृषि भूमि की किश्म बारानी दोयम अंकित हैं। वर्तमान में नरेगा योजना के तहत ग्राम में सड़क निर्माण का कार्य प्रारम्भ होने से दिनांक 26.07.2009 को प्रतिवादीगण है अपने अधिनस्त कर्मचारी मौंके पर आये और कहने लगे की हम वादीगण की भूमि खसरा नं. 264/1126 में से सड़क का निर्माण आरम्भ करेंगे तब वादीगण ने उनसे निवेदन किया की उनके खातेदारी की भूमि कोई रास्ता नहीं है तथा ना ही पूर्व में कोई रास्ता नहीं रहा हैं तो आप यहां रोड़ का निर्माण क्यों कर रहे है तथा रास्ते में भूमि का तो खसरा नं. 117/1128 हैं आप वहां निर्माण करें तब उन्होनें वादीगण को बताया कि आपके खातेदारी में भूमि खसरा नं. 264 / 1126 राजस्व रिकोर्ड में गैर-मुमकिन रास्ता दर्ज हैं इस कारण हम तो खसरा नं. 264/1126 में से ही रास्ते का निमार्ण कार्य करेंगे। अगले दिन राजस्व रिकोर्ड की नकल लेने पर याद हुआ की भू-प्रबंध विभाग द्वारा गलती से वादीगण की भूमि खसरा नं. 264/1126 रकबा 0.04 हैक्टेयर की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी गई और इसी आधार पर राजस्व नक्शें में तरमीम कर दी गई भू-प्रबंध विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के पैर जाकर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभुदयाल बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	380/2015	

उक्त अधिकारातीत कार्य किया गया हैं जो कि बमुकाबले वादीगण शून्य व बेअसर हैं क्योंकि भू-प्रबंध विभाग को पूर्व रिकोर्ड में कोई रदोबदल करने का कोई अधिकार नहीं है। वाद पत्र के अन्त में अनुतोष चाहा गया कि वादीगण बाबत घोषणा डिकी फरमाया जाकर विवादग्रस्त खसरा नं. 264/1126 रकबा 0.04 हैक्टेयर जिसे भू-प्रबंध विभाग द्वारा गलती से गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है, व नक्शे में तरमीम कर दिया उसे शून्य घोषित किया जाकर उसे पुराने राजस्व रिकोर्ड के अनुसार किस्म बारानी दोयम अंकित किया जाकर उसके अनुसार राजस्व रिकोर्ड व नक्शे में दुरूस्ती इन्द्रराज किये जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 1 को दिये जाने तथा प्रतिवादी को पाबन्ध किया जाये की भू-प्रबंध विभाग वादीगण के वर्तमान रिकोड राजस्व में अंकित खसरा नं. 264/1126 किस्म गैर मुमकिन रास्तें के आधार पर वादीगण के खातेंदारी की भूमि में से किसी प्रकार कोई सड़का का निर्माण नहीं करें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात पत्रावली राजस्व कैम्प लोक अदालत मुन्डोता में नियत करने पर पक्षकारान ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09/06/2015 पारित करते हुये राजीनामे पर तहसीलदार आमेर ने सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नही किये जाने एवं गैर मुमकिन रास्ते में दुरुस्ती का प्रकरण क्षेत्राधिकार से बाहर होना धारित करते हुये वादीगण का वाद ख़ारिज फरमा दिया गया | जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रार्थना पत्र धारा-5 कानून मियाद के साथ प्रस्तुत की गयी, जिस पर अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया एवं पैरोकार सरकार की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजीनामा प्रार्थना पत्र लोक अदालत में प्रस्तुत होने पर राजीनामे को ख़ारिज करते हुये सरसरी तौर पर वादी के घोषणा व इन्द्राज दुरुस्ती के प्रश्नाधीन वाद को ख़ारिज करने में तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | कानूनन यदि राजीनामा प्रार्थना पत्र के तथ्य से न्यायालय सन्तुष्ट नही हो तो उसे अस्वीकार कर वाद के निस्तारण हेतु निर्धारित

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	प्रभुदयाल बनाम सरकार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

380/2015

विधिक प्रक्रियाओ की अनुपालना करते हुये तनकीयात कायम कर साक्ष्य-सबूत का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये वाद का निस्तारण किया जाना आवश्यक था किन्तु ऐसा नही कर सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित कर प्रश्नाधीन वाद को ख़ारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय को निरस्त कर प्रकरण विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09/06/2015 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों की अनुपालना करते हुये वाद में अग्रिम कार्यवाही कर बाद सुनवाई उभयपक्षकारान त्रिवेचनात्मक एवं विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील आंशिक स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 13/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |